समाहरणालय, पूर्णियाँ

(जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

पत्रांक–............/आ0प्र0,

प्रेषक :–

जिला पदाधिकारी,
पूर्णियाँ।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

पूर्णियाँ, दिनांक–.............

विषय :– **वर्ष–2015 के संभावित बाढ़ को देखते हुए बाढ़ साहाय्य संबंधी अल्पकालीन निविदा संख्या–02/2015–16 का सूचना प्रकाशित कराने के संबंध में।**

प्रसंग :– प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1134/आ0प्र0, दिनांक–27.03.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्ष–2015 के संभावित बाढ़ को देखते हुए राहत सामग्रियों के दर निर्धारण एवं आपूर्त्ति के लिये बाढ़ साहाय्य संबंधी अल्पकालीन निविदा संख्या–02/2015–16 का सूचना की 05 प्रतियाँ एवं सी0डी0 सहित दो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि उक्त अल्पकालीन निविदा को 02 प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–

जिला पदाधिकारी
पूर्णियाँ।

ज्ञापांक :– 1048/आ0प्र0, पूर्णियाँ, दिनांक :– 22.08.15

प्रतिलिपि :– सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी अंचल पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पूर्णियाँ जिला को सूचनार्थ एवं विस्तृत प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, पूर्णियाँ/नगर पंचायत, कसबा एवं बनमनखी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– नजरत उप समार्त्ता, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, पूर्णियाँ को विस्तृत प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित एवं निदेशित किया जाता है कि आप अपने स्तर से दो दैनिक प्रमुख समाचार–पत्रों में प्रकाशित कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें, साथही प्रकाशित निविदा का पेपर कटिंग जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, पूर्णियाँ को ससमय उपलब्ध करावें।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी (एन0आई0सी0), पूर्णियाँ/आई0टी0 मैनेजर, पूर्णियाँ को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि निविदा की विस्तृत जानकारी हेतु जिला के बेवसाईट पर भी प्रकाशित करावें।

जिला पदाधिकारी
पूर्णियाँ।

D:November-2012/ Letter-Apda-1
521

समाहरणालय, पूर्णियाँ

(आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

अल्पकालीन निविदा संख्या – 02/2015–16

वर्ष–2015 में संभावित बाढ़ के समय प्रभावित परिवारों एवं विस्थापित परिवारों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने हेतु अधोलिखित वस्तुओं की आवश्यकता हेतु अल्पकालीन निविदा संख्या–01/2015–16 द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन कराया गया था जिसमें तिथि 14.08.2015 का निर्धारण किया गया था। उक्त निर्धारित तिथि को कोई भी निविदादाता द्वारा निविदा नहीं डाले जाने के कारण निविदा की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी। तद्आलोक में पुनः सामग्रियों जिसकी पूर्ण विवरणी निम्न प्रकार अंकित है, के दर निर्धारण एवं आपूर्त्ति के लिये इच्छुक आपूर्तिकर्त्ताओं से एतद् द्वारा सीलबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है।

- निविदादाताओं को मो0–10,000.00 (दस हजार) रूपये जमानत की राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में जिला नजारत शाखा, पूर्णियाँ जमा करना होगा, जो जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के नाम से देय होगा। 10,000.00 (दस हजार) रूपया नगद भी स्वीकार किया जायेगा, जिसका नाजिर रसीद देय होगा। निविदा प्राप्ति की तिथि 04/09/2015 के **अपराह्न 02 बजे तक होगी प्राप्त निविदाएँ उसी दिन अपराह्न 03 बजे अधोहस्ताक्षरी के वेश्म में जिला क्रय समिति के समक्ष निविदा खोली जाएगी,** जिसमें स्वयं निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

सामग्री का विवरण

क्र0	सामग्री का नाम	साईज	अन्य विवरण
1	2	3	4
1	नाव परिचालन संबंधी लॉगबुक	—	दर प्रति सैकड़ा
2	आटा	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगी
3	चुड़ा	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगी
4	चना देशी	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगी
5	गुड़	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगी
6	मूढ़ी	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगी
7	दाल (1. अरहर 2. चना 3. मूंग 4. मसूर)	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगी
8	सरसों का तेल	उत्तम किस्म का	दर प्रति टीन (15 किलोग्राम)
9	मसाला–जीरा, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गोल मिर्च पाउडर	उत्तम किस्म का	दर प्रति किलोग्राम अलग–अलग में अंकित होगा।
10	आलू+प्याज	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगी
11	चना का सत्तु	उत्तम किस्म का	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगी
12	पावरोटी	200 ग्राम का पैकेट	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगी
13	आयोडाईज्ड नमक	1 किलोग्राम का पैकेट	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगी
14	चीनी	मोटा	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगी
15	दिया सलाई मंझोला साईज	उत्तम किस्म का	दर प्रति पैकेट (12 की संख्या में)
16	मोमबत्ती (8.5'' लम्बा 2.5'' गोलाई)	उत्तम किस्म का	दर प्रति पैकेट (06 की संख्या में)
17	मार्किन कपड़ा का थैला	लम्बाई 2 फीटXचौड़ाई 1.5 फीट वाला	दर प्रति सैकड़ा में अंकित होगी
18	प्लास्टिक थैला	5 Kg एवं 2.5 Kg का (250 माईक्रोन का)	दर प्रति किलो में अंकित होगी
19	जलावन की लकड़ी (सूखी हुई)	—	दर प्रति क्विंटल में अंकित होगी
20	खाना पकाने का सभी प्रकार का बर्त्तन भाड़े पर	—	दर (प्रति दिन)
21	खाना बनाने का गैस भट्ठी/चुल्हा (भाड़े पर)	—	दर (प्रति दिन)

22	जेनरेटर (भाड़े पर)		दर (प्रति दिन)
23	सभी प्रकार के जेनरेटर से चलनेवाले लाईट (भाड़े पर)	मरकरी, बल्ब, सी०एफ०एल० [illegible] इत्यादि	दर (प्रति दिन)
24	वाटरप्रूफ टैंट / पंडाल (भाड़े पर)	तिरपाल सूती एवं प्लास्टिक इत्यादि	दर (प्रति दिन)
25	धोती	—	दर (प्रति नग)
26	साड़ी	—	दर (प्रति नग)
27	गंजी	—	दर (प्रति नग)
28	लूंगी	—	दर (प्रति नग)
29	गमछा	—	दर (प्रति नग)
30	दरी (सभी साईज में)	—	दर (प्रति नग)
31	चटाई (सभी साईज में)	—	दर (प्रति नग)
32	थाली (स्टील)	—	दर (प्रति नग)
33	कटोरा (स्टील)	—	दर (प्रति नग)
34	ग्लास (स्टील)	—	दर (प्रति नग)

जिला पदाधिकारी,
पूर्णियाँ।

निविदा की आवश्यक शर्ते :-

18. क्र0-01 से 34 तक के लिए तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग सील / मुहरबन्द लिफाफे में ली जायेगी।
19. तकनीकी निविदा के साथ पैन नम्बर / TIN नम्बर / अद्यतन आयकर भुगतान संबंधी प्रमाण-पत्र / दूकान की अनुज्ञप्ति / अनुभव प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
20. तकनीकी निविदा के साथ अग्रधन राशि का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।
21. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
22. अनुभव प्रमाण-पत्र वाले निविदादाताओं को निविदा की स्वीकृति में प्राथमिक्ता दी जाएगी।
23. वित्तीय निविदा में सभी अनुमान्य कर परिवहन व्यय शामिल करते हुए सामग्री की दर स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक है।
24. निविदा निर्धारण के समय निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि क्रय समिति के समक्ष सामग्रियों के नमूने के साथ उपस्थित रहेंगे।
25. सामग्रियों की आपूर्त्ति पहले मुख्यालय में करनी होगी तथा आपूरित सामग्रियों की गुणवत्ता एवं विशिष्टता के जॉचोंपरान्त आवश्यकता अनुसार अंचलों में आपूर्त्ति करनी होगी। इसके लिये आपूर्त्तिकर्त्ता को परिवहन भत्ता देय नही होगी।
26. निविदा खोलने की तिथि को निविदादाता / प्राधिकृत प्रतिनिधि सामग्रियों के नमूने के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगें। बिना नमूने वाले निविदादाताओं की निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। स्वीकृत निविदादाताओं को एकरारनामा प्रस्तुत करना होगा कि आपातकालीन परिस्थिति में अल्पकालीन सूचना पर स्वीकृत दर के अनुसार सामग्रियों की आपूर्त्ति निश्चित रूप से कर देगे, अन्यथा प्रतिभूति राशि जब्त कर उनके विरूद्व कानून की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी।
27. संभावित बाढ़ की स्थिति में ही आवश्यकतानुसार सामग्रियों की आपूर्त्ति ली जायेगी।
28. बिना कारण बताये निविदा रद्द करने एवं निर्धारित दर पर अन्य निविदादाताओं से सामग्रियों की आपूर्त्ति लेने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
29. स्वीकृत किये गये साहाय्य सामग्रियों की आपूर्त्ति नहीं किये जाने एवं आपूर्त्ति की गई साहाय सामग्रियों के गुणवत्ता में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर आपूर्त्तिकर्त्ता को भुगतान नही किया जायेगा।

30. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद निविदा जमा किये जाने पर विचार नहीं किया जायेगा।
31. स्वीकृत निविदादाताओं को छोड़कर शेष निविदादाताओं की जमानत राशि वापस कर दी जायेगी।
32. निविदा संबधी कोई भी आपत्ति या दावा का निराकरण व्यवहार न्यायालय, पूर्णियाँ के अधीन होगा। विशेष जानकारी के लिये आपदा प्रबंधन प्रशाखा, पूर्णियाँ जिला से सम्पर्क कर सकते है एवं विस्तृत जानकारी के लिये वेबसाईट dm.purnea.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।
33. आपूर्त्ति की गई सामग्रियों के विरूद्ध भुगतान हेतु समर्पित विपत्र से नियामानुसार वैट/आयकर की कटौती भुगतान के समय की जायेगी।
34. आपूरित सामग्रियों की गुणवत्ता एवं विशिष्टता सत्यापन के पश्चात् अनुमान्य बिक्रीकर, आयकर एवं अन्य करों की कटौती कर भुगतान किया जायेगा।

जिला पदाधिकारी,
पूर्णियाँ।